राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 30 जनवरी, 1970

क्रमांक 6526-रIII-69/2190.—पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए) (1) और 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये (केवल सौ रुपये) की वार्षिक युद्ध जागीर निम्नलिखित व्यक्तियों को उन के सामने दी गई फ़सल से व सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

संख्या	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई
1	गुड़गांव	श्रीमती लक्ष्मीदेवी, विधवा इन्द्राज	धामरोज	गुड़गांव	रबी, 1968
2	,,	श्री मोहन सिंह, पुत्र जवान सिंह	खेरला	,,	खरीफ़, 1964
3	,,	श्री रूप राम उर्फ़ रूप चन्द, पुत्र दिलसुख	गोकलपुर	रिवाड़ी	खरीफ़, 1965

क्रमांक 7232-रIII-69/2195.—पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए) (1) और 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये (केवल सौ रुपये) की वार्षिक युद्ध जागीर निम्नलिखित व्यक्तियों को उन के सामने दी गई फ़सल से व सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्रम संख्या	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव	तहसील	फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई
1	रोहतक	श्री राम किशन, पुत्र राम सरूप	जखोदा	अजंर	खरीफ़, 1965
2	,,	श्री चन्दन सिंह, पुत्र जूठा सिंह	कोका	,,	खरीफ़, 1964
3	,,	श्री विशम्बर दत्त, पुत्र शिव नारायण	डाडलां	,,	,,
4	,,	श्रीमती धानी देवी, विधवा हुकम सिंह	गढ़ी (बालब)	रोहतक	,,

दिनांक 2 फरवरी, 1970

क्रमांक 183–रIII–70/2297.—पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए)(1ए) और 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये (केवल सौ रुपये) की वार्षिक युद्ध जागीर श्रीमती सन्त कौर, विधवा, श्री सोहन सिंह, गांव मामनपुर, तहसील व जिला हिसार, को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. यह अनुदान खरीफ़, 1965, से लागू होगा।

क्रमांक 221-रIII-70/2304.—पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2 (ए) (1ए) और 1(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपए (केवल सौ रुपये) की वार्षिक युद्ध जागीर श्री मेहर चन्द, पुत्र श्री सदा राम, गांव दिनोद, व तहसील भिवानी, जिला हिसार, को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

यह अनुदान खरीफ़, 1965, से लागू होगा।